राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

प्रेस

विज्ञप्ति

बजट 2016–17

बजट वर्ष 2016–17 के प्रमुख बिन्दु

राजकोषीय संकेतक

- वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों में राजस्व आधिक्य/घाटा
  - बिना उदय के प्रभाव के – 198.01 करोड़ रुपये आधिक्य
  - उदय के प्रभाव सहित – 8801.99 करोड़ रुपये घाटा
- वर्ष 2016–17 का राजकोषीय घाटा
  - बिना उदय के प्रभाव के – 23014 करोड़ रुपये जो GSDP का 3 प्रतिशत है।
  - उदय के प्रभाव सहित – 43147.24 करोड़ रुपये जो GSDP का 5.62 प्रतिशत है।
- वर्ष 2016–17 के बजट में कुल राजस्व आय 123250.53 करोड़ रुपये रहने की संभावना है।
- वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट अनुमानों में राज्य के स्वयं का कर राजस्व 45670.01 करोड़ रुपये की तुलना में वर्ष 2016–17 में 53300.01 करोड़ रुपये अनुमानित है जो 16.71 प्रतिशत अधिक है।
- वर्ष 2016–17 में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राज्य की स्वयं की कर राजस्व आय 6.95 प्रतिशत अनुमानित है।
- वर्ष 2016–17 के बजट अनुमानों में ब्याज भुगतान के मद में 17526.63 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है जो राज्य की कुल राजस्व प्राप्तियों का 14.22 प्रतिशत है।

आर्थिक एवं सामाजिक आधारभूत संरचना का विकास

सड़क:

- वर्ष 2016–17 में 2 हजार किलोमीटर ग्रामीण गौरव पथ एवं मिसिंग लिंक्स का निर्माण
- प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 250–350 की आबादी की 1468 बसावटों को 1618 करोड़ रुपये की लागत से 4303 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण।
- 2702 किलोमीटर लंबाई की non-patchable सड़कों का 605 करोड़ रुपये की लागत से निर्माण पूर्ण किया जायेगा। वर्ष 2016–17 में 600 करोड़ रुपये की लागत से ऐसी अन्य 2 हजार 500 किलोमीटर लंबी सड़कों का कार्य हाथ में लिया जायेगा।
- वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 250 से 499 की आबादी के शेष गांवों को जोड़ने के लिए 142.85 करोड़ रुपये का व्यय किया जायेगा।
- भरतपुर में गोवर्धन एवं बृज 84 कोस परिक्रमा मार्ग के सुधार के लिए 103.94 करोड़ रुपये
- जोधपुर से रामदेवरा तक श्रद्धालुओं के लिए कच्चे मार्ग का निर्माण हेतु 14.64 करोड़ रुपये
- Dedicated Freight Corridor के तहत 337 करोड़ रुपये की लागत से 10 RoBs का निर्माण
- 761 करोड़ रुपये की लागत से 19 RoBs एवं 2 RuBs का निर्माण
- भारत सरकार द्वारा इस वर्ष 4 नये राजमार्ग घोषित

- राज्य के ऐसे आबादी क्षेत्र जहाँ से राजमार्ग गुजरते हैं, के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नया बाईपास बनाया जाता है, के मरम्मत का कार्य 300 करोड़ रुपये की लागत से
- सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए 5690 करोड़ रुपये का प्रावधान जो वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमानों से 21.90 प्रतिशत अधिक है।

सड़क परिवहनः

- प्रदूषण जांच केन्द्रों की networking निजी जनसहभागिता के आधार पर
- 27.58 करोड़ रुपये – परिवहन कार्यालयों के कंप्यूटराजेशन एवं अन्य उपकरणों हेतु
- 9.13 करोड़ रुपये की लागत से प्रादेशिक परिवहन कार्यालय जोधपुर का नवीन भवन।
- ग्रामीण बस सेवा के VGF हेतु 20 करोड़ रुपये।
- RSRTC को reformed linked plan के तहत 120 करोड़ रुपये।
- राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण द्वारा RSRTC को भूमि आदि के एवज में 300 करोड़ रुपये।
- RSRTC को रियायती किराये के लिए 160 करोड़ रुपये।

पेयजलः

- वृहद परियोजनाओं के लिए 2950 करोड़ रुपये का प्रावधान जिसमें से 13 चालू प्रोजेक्ट्स को 831 करोड़ रुपये की लागत से पूर्ण करवाया जायेगा।
- बीसलपुर–जयपुर पेयजल परियोजना द्वितीय चरण का कार्य 1945 करोड़ रुपये की लागत से
- बहुर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों को वित्त पोषण के लिए नयी योजना प्रस्तुत की जायेगीः
  - देवास से राजसमन्द जिले को पेयजल फेज–3 – 1064 करोड़ रुपये
  - चौहटन तहसील बाड़मेर के 188 गाँवों के लिए 459.64 करोड़ रुपये की योजना
  - गुढामलानी तहसील बाड़मेर के 308 गाँवों के लिए 481.32 करोड़ रुपये की योजना
  - सूरजगढ़, चिड़ावा एवं बुहाना जिला झुंझुनूं एवं सूरजगढ़ कस्बे के 190 गाँवों एवं 69 ढाणियों के लिए 624.85 करोड़ रुपये की योजना
  - उदयपुरवाटी के 94 गाँवों एवं 504 ढाणियों के लिए 644.93 करोड़ रुपये की योजना
- बत्तीसा नाला बाँध के द्वारा सिरोही जिले को पेयजल आपूर्ति – 213 करोड़ रुपये।
- दौसा की पेयजल समस्या के तात्कालिक हल के लिए 14 करोड़ रुपये की योजना
- शेरगढ़–अटरू जिला बारां के लिए 80 करोड़ रुपये की लागत की पेयजल परियोजना
- 1 हजार जनता जल योजनाओं के रख–रखाव के लिए 100 करोड़ रुपये
- नये हैंडपंपों के लिए 40 करोड़ रुपये
- बीकानेर संभाग में डिग्गियों के लिए 50 करोड़ रुपये।
- जैसलमेर जिले में पायलट आधार पर 8 डीजल जनरेटर सेट्स योजना को सौर ऊर्जा में परिवर्तित किया जायेगा।

ऊर्जाः

- राज्य सरकार द्वारा उदय योजना के तहत विद्युत वितरण कंपनियों का 60000 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण का टेक ओवर
- गत दो वर्षों में उत्पादन क्षमता में 4283 मेगावाट की वृद्धि

- पूरे देश में राज्य का सौर ऊर्जा उत्पादन में प्रथम स्थान। सौर ऊर्जा की सबसे कम दर प्राप्त हुई है।
- वर्ष 2016–17 में स्थापित किये जायेंगेः–
  - 220 केवी के 6 GSS
  - 132 केवी के 16 GSS
  - 33 केवी के 200 GSS
- वर्ष 2016–17 में 40 हजार नये कृषि कनेक्शन
- जनजातिय एवं सहरिया क्षेत्र में सामान्य श्रेणी के कृषि कनेक्शन अप्रेल 2018 से on demand. ऐसे लंबित कनेक्शन मार्च 2018 तक दे दिये जायेंगे।
- बूंद–बूंद, फव्वारा एंव डिग्गी आधारित कृषि कनेक्शनों के लिए कनेक्शन की तिथि से 5 वर्ष पश्चात सामान्य श्रेणी में परिवर्तित।
- अविद्युतीकृत गांवों एवं ढाणियों को सौर ऊर्जा से विद्युतीकृत करने हेतु 24.97 कसेड़ रुपये।
- दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण ज्योति योजना के तहत वर्ष 2016–17 में 8 लाख ग्रामीण आवासों को विद्युतीकृत किया जायेगा।
- पुराने पंप सेट्स को नये energy efficient pump set से बदलने की नयी योजना।
- नये औद्योगिक विद्युत कनेक्शनों के लिए पर्यावरण नियंत्रण मंडल से NOC की बाध्यता समाप्त। विद्युत कनेक्शन के लिए self certification को मान्यता दी जायेगी
- Waste to energy plants की दरों के निर्धारण हेतु RERC को प्रस्ताव

पर्यटन, कला एवं संस्कृति :

- पर्यटन क्षेत्रों के विकास कार्यों के प्रावधान में 79 प्रतिशत की वृद्धि
- 62.33 करोड़ रुपये प्रचार प्रसार अभियान के लिए
- 17.88 करोड़ रुपये हवाईपट्टियों के विकास के लिए
- आमेर, नाहरगढ़, जंतरमंतर, अल्बर्ट हॉल आदि के विकार्स कार्यों के लिए 22.60 करोड़ रुपये
- सवाईमाधोपुर एवं झालावाड़ में नया State Institute of Hotel Management (SIHM) एवं उदयपुर में Food and Craft Institute को SIHM में upgrade किया जायेगा।
- धौलपुर एवं बारां में नया Food & Craft Institute
- जवाहर कला केन्द्र के लिए 7 करोड़ रुपये
- राजस्थान ओरियन्टल रिसर्च इन्स्टीट्यूट में नये संदर्भ पुस्तकालय के लिए 1.50 करोड़ रुपये
- 10.80 करोड़ रुपये नये अभिलेखाकार म्यूजियम के लिए
- जयपुर कथक केन्द्र के नवीकरण के लिए 1.65 करोड़ रुपये
- राजस्थान संस्कृत अकादमी, गणगौरी बाजार, जयपुर का वैदिक हैरीटेज एवं पांडुलिपि संरक्षण एवं शोध केन्द्र के रूप में विकास
- विभिन्न पेनोरमा के विकास कार्य हेतु 15 करोड़ रुपयें

देवस्थानः

- 35 करोड़ रुपये – 12 महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों के चरणबद्ध रूप से विकास के लिए
- देव स्थान मंदिरों के रख–रखाव हेतु 5 करोड़ रुपये

वनः

- जयपुर एवं अजमेर में नगर वन योजना लागू की जायेगी।
- मुख्यमंत्री जल स्वालंबन योजना के तहत 17 जिलों में जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने एवं पौधारोपण के लिए 157.61 करोड़ रुपये की योजना।
- वन एवं वन्यजीव विकास हेतु कैंपा के तहत 138 करोड़ रुपये का व्यय।
- सरिस्का, रणथम्भोर एवं मुकुंदरा हिल्लस रिजर्व क्षेत्र के निवासियों को नये कूकिंग गैस कनेक्शन पर शत–प्रतिशत अनुदान। आगामी वर्ष में 40 हजार कनेक्शन दिये जायेंगे।
- सरिस्का, रणथम्भोर एवं मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व के निवासियों को पुनर्वास का पैकेज
- सरिस्का एवं मुकुंदरा हिल्स टाईगर रिजर्व के लिए स्थानीय निवासियों से STPF का गठन
- तीनों टाईगर रिजर्व में STPF के लिए forest guard एवं forest watcher के पद पर रिजर्व क्षेत्र के युवाओं को नियुक्ति दी जायेगी।
- पर्यावरण संबंधी मामलों के लिए centre for excellence की स्थापना।
- महिला एवं युवा उद्यमियों को औद्योगिक waste से उत्पादों के निर्माण करने पर सहायता।
- जल एवं वायु प्रदूषण अधिनियम के अंतर्गत कतिपय उद्योगों को स्वीकृति की वैधता अवधि 3, 5 एवं 10 साल से बढ़ाकर 5, 10 एवं 15 साल की जायेगी।

निवेश एवं आर्थिक वृद्धि

उद्योगः

- रीको द्वारा उद्योगों के लिए लैंड बैंक को 10 हजार हेक्टेयर भूमि तक बढ़ाया जायेगा, जो GIS पर उपलब्ध होगा।
- रीको औद्योगिक क्षेत्र में plug and play की सुविधा।
- Start-up policy 2015 के लिए 10.85 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- कारोली–अलवर में 122 एकड़ में green field electronic manufacturing cluster की स्थापना
- बालोतरा, पाली एवं जसोल में CETP upgradation में राज्य के हिस्से के 66 करोड़ रुपये दिये जायेंगे।
- टैक्टाईल क्षेत्र में 11 हजार युवाओं को कौशल प्रशिक्षण
- एकल खिड़की प्रणाली में सुधार। सभी जिलों में RIPS online portal प्रारंभ किया जायेगा।
- जयपुर में National Institute of Design की स्थापना। राज्य द्वारा 50 एकड़ भूमि निःशुल्क दी जायेगी।

लघु उद्योगः

- MSME Facilation Centre की प्रत्येक जिले में स्थापना
- प्रत्येक जिले में livelihood business incubator प्रारंभ किये जायेंगे।
- Hand made in Rajajsthan Portal शुरू किया जायेगा।
- Professionals के माध्यम से RUDA द्वारा 60 हजार artisans को प्रशिक्षण हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान
- Rajasthan Leather Handicraft and Modernisation Scheme के लिए पाँच गुना प्रावधान।
- सुजानगढ़ में उपजिला उद्योग केन्द्र की स्थापना

खनन:

- खनन क्षेत्र में 150 करोड़ रुपये के चिकित्सा, पर्यावरण एवं सड़क संबंधी विकास कार्य।

कृषि एवं पशुपालन

कृषि एवं संबद्ध सेवायें :

- रबी–2015 में ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को 2471 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान की गयी।
- नवीन प्रधानमंत्री बीमा योजना के लिए 676.37 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- वर्ष 2016 में Global Rajasthan Agritech Meet का आयोजन।
- 1170 कृषि सेवा केन्द्रों को क्रियाशील करने के लिए 5 करोड़ 90 लाख रुपये का प्रावधान।
- मृदा स्वास्थ्य कार्ड की रिपोर्ट के आधार पर किसानों को सूक्ष्म पोषक तत्वों की किट उपलब्ध करवाने की योजना।
- 3 लाख मैट्रिक टन यूरिया, 20 हजार मैट्रिक टन डीएपी एवं 50 हजार मैट्रिक टन जिप्सम का भंडारण।
- विभिन्न श्रेणी के किसानों को बूंद बूंद, फव्वारा, लघु फव्वारा एवं शेडनेट पर देय अनुदान को बढ़ाकर 50 प्रतिशत एवं 70 प्रतिशत किया जायेगा।
- 1 1 जिलों में जैविक खेती के लिए विशेष योजना।
- Forest Training Institute, Jhalawar में जैविक खेती के लिए centre of excellence की स्थापना।
- विद्युत वितरण कंपनियों को किसानों को सस्ती बिजली उपलब्ध कराने के लिए 7 हजार 205 करोड़ रुपये का अनुदान।
- Honorary Extension Workers को 1 हजार रुपये प्रतिदिन का मानदेय। प्रत्येक जिले में कम से कम 10 Honorary Extension Worker जोड़े जायेंगे।
- उत्पाद की online बिक्री के लिए e-mandi portal की स्थापना।
- राजस्थान बीज निगम द्वारा किसानों के बैंक में सीधा भुगतान एवं भामाशाह योजना के साथ जोड़ा जायेगा।
- जोबनेर कृषि विश्वविद्यालय में स्ववित्त पोषित MBA Integrated course के लिए 2 करोड़ रुपये का अनुदान।
- राजस्थान राज्य वेयर हाउसिंग कारपोरेशन द्वारा 2.32 लाख मैट्रिक टन की भंडारण क्षमता सृजित करने हेतु 162 करोड़ रुपये।
- 1 हजार नये पशु चिकित्सा उप–केन्द्र की स्थापना । 80 करोड़ रुपये की लागत के निर्माण एवं 20 करोड़ रुपये recurring खर्च हेतु
- विभिन्न श्रेणी के पशुपालकों को नवीन भामाशाह पशु बीमा योजना के प्रीमियम का 50 से 70 प्रतिशत अनुदान
- 1 हजार पशु चिकित्सा केन्द्रों की मरम्मत के लिए 2 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- संयुक्त निदेशक, पशुपालन एवं बहुद्देश्यीय पशु चिकित्सालय, दौसा के नवीन भवन का निर्माण – 5.76 करोड़ रुपये की लागत से।

- पशुपालकों के लिए काल सेंटर की स्थापना।
- सरस बूथ पर फल फूल एवं सब्जी विक्रय के लिए योजना बनायी जायेगी।
- पशु चिकित्सा में PG एंव PhD में अध्ययनरत विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति में वृद्धि।
- कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमानों से प्रावधान में 47.55 प्रतिशत की वृद्धि।

जल संसाधनः

- 12 हजार करोड़ रुपये से अधिक की नयी परियोजनाओं की घोषणा।
- 24 जिलों के लिए Rajasthan Water Sector Livelihood Improvement Project – 3 हजार 461 करोड़ रुपये की लागत
- 8 जिलों के Rajasthan Water Sector Restructuring Project for Desert Area – 3 हजार 264 करोड़ रुपये की लागत
- कोटा, बारां एवं झालावाड़ जिलों के लिए 4824 करोड़ रुपये की परवन परियोजना क्रियान्वित की जायेगी। आगामी वर्ष में 700 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- CAD क्षेत्र की नहरों की revamping का कार्य – 213.53 करोड़ रुपये की लागत से।
- अंबापुरा लिफ्ट सिंचाई परियोजना –। (माही बैक वाटर) का कार्य शुरू किया जायेगा – परियोजना की लागत 60 करोड़ रुपये।
- भरतपुर जिले की डीग escape channel के जीर्णोद्धार एवं मरम्मत का कार्य
- 9 जिलों में 11 एनिकट का निर्माण – 25.74 करोड़ रुपये की लागत से।
- चंवली सिंचाई परियोजना के नहरों के जीर्णोद्धार का कार्य – 9.45 करोड़ रुपये की लागत से।
- पार्वती, काली सिंध नदियों के अधिशेष जल के उपयोग हेतु DPR
- साबरमती बेसिन के अधिशेष जल के उपयोग हेतु DPR
- माही के सेडल डेम से सिंचाई प्रणाली विकसित करने हेतु DPR
- आगामी 8 वर्षों में हाईड्रोजिकल सूचना तंत्र विकसित करने हेतु 128 करोड़ रुपये का व्यय

सहकारिता :

- तीन सहकारी बैंकों का CRAR संधारित करने एवं फसली ऋण योजना के तहत ब्याज अनुदान – 370 करोड़ रुपये।
- सहकारी बैंको को भी दीर्घकालीन कृषि ऋणों पर ब्याज अनुदान योजना के तहत 2 प्रतिशत सहायता दी जायेगी।
- 100 ग्राम सेवा सहकारी समितियों के गोदामों के निर्माण हेतु 10 करोड़ रुपये का प्रावधान।

मानव संसाधन एवं सामाजिक विकास

समाज कल्याण :

- PMSBY, PMJJBY, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं नयी पशु बीमा योजना के द्वारा सामाजिक सुरक्षा का तंत्र विकसित होगा।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, जनजाति क्षेत्र विकास, अल्पसंख्यक छात्रावासों का मैस भत्ता 2 हजार रुपये प्रतिमाह प्रति विद्यार्थी
- निजी जन–सहभागिता के अंतर्गत संचालित छात्रावासों के मैस भत्ते में चार गुना वृद्धि।

- विधवा पुनर्विवाह पर देय गिफ्ट राशि को बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया गया।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के आवासीय विद्यालयों में 1.50 करोड़ रुपये की लागत से सौर वाटर हीटर प्रणाली।
- 7 नये छात्रावास भवन – 15.75 करोड़ रुपये की लागत से।
- सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के छात्रावासों में infrastructure gap की पूर्ति हेतु 7.98 करोड़ रुपये।
- पशुपालकों के बच्चों के लिए जेतेश्वर धाम बाड़मेर में 280 क्षमता का आवासीय विद्यालय की स्थापना के लिए 12.91 करोड़ रुपये
- बाड़मेर मे बालक–बालिकाओं के लिए 280–280 क्षमता के एक–एक आवासीय विद्यालय का आगामी वर्ष से संचालक किया जायेगा – 4.44 करोड़ रुपये
- 1 हजार योग्य विद्यार्थियों को कोटा एवं जयपुर में IIM, IIT आदि की कोचिंग सुविधा।
- देवनारायण योजना के तहत आगामी तीन वर्ष में 6 नये आवासीय विद्यालय तथा 5 छात्रावास प्रारंभ किये जायेंगे।
- 6 करोड़ रुपये विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लिए।
- राजकीय कार्यालयों में RAMPS लिफ्ट आदि के लिए 4.13 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 99 NGO द्वारा संचालित विशेष विद्यालयों के लिए 6.66 करोड़ रुपये का अनुदान।
- सिनेमाघरों में विशेष योग्यजन के लिए 3 प्रतिशत सीटें आरक्षित।
- पालनहार योजना के लिए 171 करोड़ रुपये।
- NGO द्वारा कामकाजी महिला छात्रावासों के संचालन पर ऐसे राजकीय छात्रावासों की मरम्मत हेतु एकबारीय अनुदान।
- तीन जिलों में नये किशोरगृहों के भवनों के लिए 5.07 करोड़ रुपये का प्रावधान।

महिला एवं बाल विकास :

- राजकीय आंगनबाड़ी की मरम्मत 75 करोड़ रुपये की लागत से तीन वर्षों में।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, लघु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, साथिन एवं आशा सहयोगिनियों के मानदेय में वृद्धि से 1 लाख 50 हजार महिलायें लाभान्वित
- गरिमा बालिका संरक्षणएवं सम्मान योजना प्रारंभ की जायेगी।
- बालिकाओं के लिए मुख्यमंत्री राजश्री योजना की घोषणा
- जन–सहभागिता के आधार पर क्रेच के लिए नयी योजना।
- सामुहिक विवाह के लिए अनुदान राशि में वृद्धि।

जनजाति विकास :

- 30 छात्रावासों में 750 सीटों की वृद्धि – 21 करोड़ रुपये।
- तीन आवासीय विद्यालयों में 420 सीटों की वृद्धि – 10.50 करोड़ रुपये।
- 100 नये मां–बाड़ी केन्द्र – 3.14 करोड़ रुपये
- 508 मां–बाड़ी केन्द्रों में किचन शेड का निर्माण – 3.05 करोड़ रुपये
- आगामी वर्ष में जनजाति क्षेत्र में 5 महाविद्यालय छात्रावास का संचालन।

- जनजाति क्षेत्र में दूध समितियों को 200 ऑटोमेटेड मिल्क कलेक्शन यूनिट – 2.38 करोड़ रुपये
- जनजाति उपपरियोजना क्षेत्र में 20 नये कौशल प्रशिक्षण केन्द्र।
- 62 छात्रावासों हेतु approach road
- Tribal Tourism Circuit विकसित किया जायेगा।

अल्पसंख्यक :

- अल्पसंख्यक ब्लॉक्स में 53.99 करोड़ रुपये के विकास कार्य।
- मदरसों में मानदेय, शिक्षा सामग्री आदि के लिए 66.30 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 10400 अल्पसंख्यक विद्यार्थियों को digital training
- मदरसों शिक्षा सहयोगियों को ई–शिक्षा

युवा मामले एवं खेलः

- सवाईमानसिंह स्टेडियम में 500 क्षमता का नया छात्रावास – 10 करोड़ रुपये की लागत से।
- वर्ष 2016–17 में 14 खेलों के लिए राज्य स्तरीय खेल प्रतियोगिता – 3.34 करोड़ रुपये।
- राज्यस्तरीय खेल प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में चयनित श्रेष्ट खिलाड़ी को छात्रवृत्ति – 3 करोड़ रुपये।
- राष्ट्रीय एवं अंतरर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वालों को राजकीय सेवाओं में सीधी भर्ती के लिए नीति लायी जायेगी।
- 5 पंचायत समितियों में indoor hall का निर्माण – 4 करोड़ का प्रावधान।
- विभिन्न स्टेडियमों के निर्माण एवं मरम्मत हेतु 17.41 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- निजी जन–सहभागिता के आधार पर खेल अकादमियों की स्थापना हेतु योजना।
- 1.50 लाख बालिकाओं को आगामी तीन सालों में आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जायेगा।
- कबड्डी एवं हॉकी की राज्यस्तरीय स्तर की एक एक टीम को रीको एवं RSMM के प्रायोजित किया जायेगा।

शिक्षाः

- आगामी वर्ष में 61 स्वामी विवेकानन्द राजकीय माडल स्कूलों का संचालन किया जायेगा।
- आगामी वर्ष से सभी शारदे बालिका छात्रावास संचालित किये जायेंगे।
- शारदे बालिका छात्रावासों के निर्माण हेतु 47.88 करोड़ रुपये का व्यय
- 380 और विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु 58.65 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 770 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में virtual class room
- वर्ष 2016–17 में राजकीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के तहत 1750 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 445 विद्यालयों में 180 करोड़ रुपये के सिविल कार्य।
- माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों के 60 जर्जर भवनों के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 628 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 13 करोड़ रुपये की लागत से विद्युतीकरण का कार्य।

- मेधावी छात्रों को लेपटाप हेतु 60 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- बालिकाओं को साईकिलों के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- उच्च माध्यमिक विद्यालय में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध न होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र में 5 किलोमीटर से अधिक दूरी के राजकीय विद्यालय में अध्ययन हेतु जाने पर बालिकाओं को transport voucher का लाभ
- नयी मुख्यमंत्री जन–सहभागिता विद्यालय विकास योजना – 25 करोड़ रुपये
- 152 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान या वाणिज्य या कृषि विषय खोला जायेगा।
- वर्ष 2016–17 से कक्षा 5 के लिए जिला स्तरीय मूल्यांकन परीक्षा का आयोजन।
- विशेषयोग्यजन विद्यार्थियों के तीन विद्यालयों का क्रमोन्नयन।
- महापुरा जयपुर में राज्यस्तरीय संस्कृत शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान एवं अनसंधान संस्थान।
- स्कूल शिक्षा के लिए कुल प्रावधान 23177 करोड़ रुपये जो 2015–16 के संशोधित अनुमान से 14.47 प्रतिशत अधिक है।

उच्च एवं तकनीकी शिक्षाः

- महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के आधारभूत विकास के लिए 173 करोड़ रुपये।
- नवीन महाविद्यालय भवन निर्माण के लिए 104.50 करोड़ रुपये।
- 8 नवीन महाविद्यालय प्रारंभ किये जायेंगे।
- 13 महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के नये विषय प्रारंभ किये जायेंगे।
- 11 महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर स्तर के नये विषय प्रारंभ किये जायेंगे।
- पायलट आधार पर 5 महाविद्यालयों में वाईफाई की सुविधा।
- बीकानेर में तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्यः

- भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से अल्प समय में ही 43 हजार परिवारों ने लाभ उठाया है।
- दो उपस्वास्थ्य केन्द्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- 5 नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायेंगे एवं 8 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चाकसू जिला जयपुर को सेटेलाईट चिकित्सालय में क्रमोन्नत किया जायेगा।
- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत 1 हजार 716 करोड़ रुपये का प्रावधान
- 100 नयी dental chair units की स्थापना एवं 7 मोबाईल डेंटल वैन क्रय की जायेंगी।
- चिकित्सा संस्थाओं में नये beds, व्हील चेयर, patient trolley एवं गद्दे आदि उपलब्ध कराने हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- चित्तौड़गढ़, पाली एवं नागौर जिला अस्पताल को Colour Doppler Machine उपलब्ध करवायी जायेगी।
- विभिन्न उप–स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, औषधालय एवं अस्पताल के नव निर्माण हेतु 31 करोड़ 10 लाख रुपये का प्रावधान।

- e-health card के आधार पर विशेष योग्यजनों के लिए tricycle, hearing aid के वितरण।
- समुदाय आधारित कुपोषण प्रबंधन कार्यक्रम आगामी वर्षों में भी जारी रखा जायेगा।
- राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में चिकित्सा शिक्षकों एवं राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष करने की मैं घोषणा करती हूँ।
- 16 new born stablisation units को special new born care unit में क्रमोन्नत किया जायेगा – 5 करोड़ रुपये
- 5 नवीन खाद्य प्रयोगशालाओं की स्थापना– लागत 27 करोड़ 50 लाख रुपये।
- नवीन स्वास्थ्य भवन का निर्माण – 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।
- 3 आँचल प्रसूता केन्द्र, 9 पंचकर्म केन्द्र, 11 जरावस्था केन्द्र एवं 6 नये योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा केन्द्रों का निर्माण।

चिकित्सा शिक्षाः

- चिकित्सा महाविद्यालय 350 MBBS Seats की वृद्धि – 420 करोड़
- सवाईमानसिंह चिकित्सालय, जयपुर में विभिन्न लैब्स – लागत 10 करोड़ 50 लाख रुपये
- अजमेर में modular operation theatre बनाया जायेगा –लागत 4 करोड़ रुपये
- उदयपुर में 4 करोड़ रुपये की लागत से नयी cobalt मशीन स्थापित की जायेगी।
- senior resident hostel के नवीन भवन का निर्माण – 14 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से
- चिकित्सा महाविद्यालय, जोधपुर में निजी जन–सहभागिता के तहत linear accelerator एवं गामा कैमरों की स्थापना।
- जोधपुर में संक्रमक संस्था को उपकरण एवं संचालन हेतु 5 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- चिकित्सा महाविद्यालय, कोटा में digital mamography machine क्रय की जायेगी – 2.75 करोड़ रुपये।
- चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर में 3 करोड़ रुपये की लागत से 30 नवीन आवासीय स्टॉफ क्वाटर्स का निर्माण।
- चिकित्सा महाविद्यालय, झालावाड़ में 38 करोड़ 25 लाख रुपये की लागत से P.G. Hostel, स्टाफ क्वाटर्स का निर्माण, 3 ऑपरेशन थियेटर को modular operation theatre एवं राजेन्द्र सार्वजनिक चिकित्सालय, झालावाड़ emergency वार्ड का निर्माण।

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलेः

- राष्ट्रीय खाद्य योजना के लिए 400 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 5 हजार अन्नपूर्णा भंडार खोले जायेंगे।

कौशल राजस्थान एवं रोजगार

- RSLDC द्वारा 111000 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया, 40 हजार युवाओं को ITIs, राजकीय तकनीकी महाविद्यालय आदि में कैम्पस placement दिया गया तथा गत 26 माह में 4.74 लाख नये EPF account सृजित किये गये।
- राजकीय एवं निजी ITI में गत दो वर्षों में 1.25 लाख नयी सीटें जोड़ी गयी हैं
- आगामी तीन वर्षों में 29 ITIs के लिए 58 करोड़ रुपये
- नवीन ITI भवनों के निर्माण कार्य हेतु 155 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान

- राजकीय ITI नीमराना में 6 नये ट्रेड प्रारंभ करने हेतु 9 करोड़ 8 लाख रुपये का व्यय
- हर जिले में KISMAT लागू की जायेगी – लागत 14.50 करोड़ रुपये।
- tools and equipment के लिए 31 करोड़ 50 लाख रुपये का प्रावधान
- महिला ITI, भीलवाड़ा के लिए 2 करोड़ रुपये
- ITI, जयपुर के work shop एवं class room
- बीकानेर में जेल ITI भवन का निर्माण।
- जयपुर में संचालित जेल ITI में एक workshop एवं कक्षा कक्ष का निर्माण करवाया जायेगा।
- तकनीकी शिक्षा निदेशालय, जोधपुर के भवन का renovation 2 करोड़ रुपये की लागत से ।
- कोटा तकनीकी शिक्षा संभागीय मुख्यालय के लिए 90 लाख रुपये
- 279 नये कौशल प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये हैं।
- युवाओं द्वारा कौशल ऋण पर 6 प्रतिशत तक ब्याज सहायता
- centre of excellence in creative manufacturing की राजकीय आईटीआई जयपुर में स्थापना की जायेगी।
- रिसर्जेंट राजस्थान के दौरान 11 वृहद कम्पनियों के साथ अनुबन्ध किये गये।
- 86 हजार युवाओं को Livelihood in Full Employment योजना में कौशल प्रशिक्षण के लिए 354 करोड़ रुपये।
- एक employment exchange को dedicated apprenticeship exchange के रूप में विकसित किया जायेगा।
- कौशल विकास से जोड़ने के लिए आगामी वर्ष में विशेष ग्रामसभाओं का आयोजन कर 2 लाख 45 हजार युवाओं का चयन।
- नियोजन शिविरों के माध्यम से लगभग 74 हजार युवा लाभान्वित हुए।
- आगामी वर्ष से सभी जिलों में प्रतिमाह कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता शिविरों का आयोजन किया जायेगा।
- 10 और नवीन centre of excellence स्थापित की जायेंगी।
- हर जिले में 8.25 करोड़ रुपये की लागत से facilitation and information centres की स्थापना।

स्थानीय स्व–शासन

शहरी विकासः

- स्वायत्त शासन एवं शहरी विकास विभाग के वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान में वर्ष 2015–16 के संशोधित अनुमान की तुलना में 33.57 प्रतिशत की वृद्धि
- जयपुर एवं उदयपुर शहरों को smart cities के रूप में चुना गया है – वर्ष 2016–17 में 400 करोड़ रुपये का प्रावधान
- RUIDP- Phase-IV के माध्यम से 37 शहरों में जल वितरण, सिवरेज, ड्रेनेज आदि आधारभूत सुविधाओं का विकास कार्य – 4 हजार 200 करोड़ रुपये की लागत
- सात शहरों में संचालित सीवरेज कार्यों को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2016–17 में 73 करोड़ रुपये का प्रावधान।

- जयपुर में कुछ और चयनित स्थानों पर wi-fi hot spot सुविधा का विस्तार।
- जयपुर में बेहतर यातायात प्रबंध के लिए निम्न कदम उठाये जायेंगेः–
  - तूंगा रोड़ बस्सी RoB,
  - झोटवाड़ा RoB को चौड़ा करने का कार्य
  - भवानी सिंह रोड़ से सोडाला तक एलिवेटेड रोड,
  - तीन पुलियाओं को चौड़ा करना
  - दो पेडेस्ट्रीयन अंडर पास का निर्माण
  - जगतपुरा RoB से गोनेर रोड़ को 8 लेन का करना।
- जयपुर में marriage resort hub की स्थापना।

पंचायतीराज एंव ग्रामीण विकास :

- पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास के लिए 15378 करोड़ रुपये का प्रावधान
- मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के लिए 440 करोड़ रुपये
- ई–पंचायत लागू की जायेगी।
- 47 नये पंचायत समिति के भवनों के infrastructure के लिए 4.90 करोड़ रुपये
- 7 नवीन योजनाएं convergence कर लागू की जायेंगी।
  - (i) मुख्यमंत्री स्वच्छ ग्राम योजना – 125 करोड़ रुपये
  - (ii) आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण की योजना – 140 करोड़ रुपये
  - (iii) ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह, वन क्षेत्रों एवं महात्मा गाँधी नरेगा अधिनियम के तहत पात्र परिवारों की निजी फसलों को आवारा पशुओं, रोजड़ों आदि से बचाने के लिए योजना।
  - (iv) मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास योजना – 150 करोड़ रुपये
  - (v) मुक्तिधाम विकास योजना – 100 करोड़ रुपये
  - (vi) दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास केन्द्र निर्माण एवं संचालन योजना।
- 15 हजार से ज्यादा आबादी वाली ग्राम पंचायतों के लिए अग्निशमन वाहन की योजना।
- ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर शिविरों का आयोजन।
- गुरू गोवलकर योजना के लिए आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपये।
- अन्य चिन्हित वर्गों के आवासों के लिए आगामी वर्ष में 31.50 करोड़ रुपये
- 10 पंचायत समितियों में 42 cluster level federation का गठन – 5 हजार महिलाएं लाभान्वित, प्रत्येक के पास 2 करोड़ 50 लाख रुपये का corpus
- 1 हजार 500 महिलाएं women community resource person के रूप में कार्यरत
- 48 हजार परिवारों को राजीविका के तहत micro enterprise से जोड़ा जायेगा।
- स्वयंसहायता समूहों के toll free call centre प्रारंभ किया जायेगा।
- राजीविका योजना अगले वर्ष 100 नवीन ब्लॉक्स में लागू की जायेगी।
- 30 हजार स्वयंसहायता समूहों का गठन एवं 4 लाख महिलाएं लाभान्वित

डिजिटल राजस्थान एवं सुशासन

सूचना प्रोद्योगिकीः

- 7 संभागीय मुख्यालयों पर command and control centre की स्थापना।
- वन एवं वन्यजीव की गतिविधियों का IT आधारित monitoring
- state data centre में cloud facility की स्थापना। state data centre के नवीन भवन का निर्माण।

आयोजना :

- भामाशाह योजना के तहत महिलाओं के खाते में 2 हजार रुपये हस्तांतरित करने हेतु आगामी वर्ष में 115 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 15 हजार ई–मित्र pay points प्रारंभ किये जायेंगे।
- 389 नयी बैंक ब्रांचेज अब तक खुली तथा आगामी वर्ष में 500 से अधिक और बैंक ब्रांचेज खुलेगी।
- फसल बीमा, फसली ऋण योजना एवं MSP का भुगतान भामाशाह योजना से जोड़ा जायेगा। चरणबद्ध रूप से विभिन्न विभागों के तहत नकद एवं गैर–नकद हस्तांतरण को भामाशाह से जोड़ा जायेगा।
- एक अधिनियम लाकर भामाशाह प्राधिकरण का गठन किया जायेगा।
- भामाशाह योजना के तहत दिये लाभों का प्रतिवेदन वर्ष में दो बार ग्राम सभाओं में रखा जायेगा। तदानुसार नियमों में संशोधन किया जायेगा।
- हर जिला मुख्यालय पर वित्तीय समावेश प्रशिक्षण आदि के लिए electronic screen लगायी जायेंगी।

राजस्व एवं सैनिक कल्याणः

- राजस्व विभाग के अधीन नवीन भवनों के लिए 163 करोड़ रुपये।
- भू–अभिलेखों का नवीनीकरण HRSI की तकनीक के माध्यम से
- समस्त भू–अभिलेख settlement कार्यालयों में GIS lab
- दो नवीन सैनिक विश्राम गृहों का निर्माण तथा एक का विस्तार, कोटा में war widow hostel का निर्माण
- युद्ध सेवा मेडल के विजेताओं को भी भूमि एवं नकद राशि का पुरस्कार

गृहः

- आगामी तीन वर्षों में 1000 नये subordinate houses का निर्माण – 190 करोड़ रुपये
- पुलिस लाईन एवं पुलिस थानों के रख–रखाव एवं मरम्मत के लिए 28 करोड़ रुपये का प्रावधान
- पुलिस विभाग के निर्माणाधीन कार्यालयों के लिए 31 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- पुलिस modernisation के तहत गाड़ियों के लिए 10 करोड़ एवं equipment आदि के लिए 34 करोड़ रुपये
- झालावाड़ पुलिस training स्कूल की क्षमता में वृद्धि की जायेगी।

- पुलिस communication network on POL NET technique के लिए नये उपकरण–1.56 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- हर रेंज में एक नया साईबर क्राईम यूनिट
- साईबर क्राईम पुलिस स्टेशन के सुदृढ़ीकरण के लिए 1 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- ACB के भवन के विस्तार के लिए 3.89 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- प्रतापगढ़ एवं डूंगरपुर में गृह रक्षा विभाग के भवन निर्माण के लिए 2.08 करोड़ रुपये।
- अजमेर एवं बीकानेर में निर्माणाधीन SFL लैब का निर्माण – 10 करोड़ रुपये
- जेल के निर्माणाधीन एवं नवीन भवनों के लिए 65.57 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- 34 स्थानों पर विडियो क्रांफ्रेंसिंग सुविधा की court से connectivity के लिए 1.70 करोड़ रुपये।
- जोधपुर केन्द्रिय कारागृह मे जेमर के upgration के लिए 3.84 करोड़ रुपये।
- विभिन्न जेलों में सीसीटीवी हेतु 1 करोड़ 45लाख रुपये का प्रावधान।
- जेलों में एम्बुलेंस, एक्सरे, सोनोग्राफी मशीन अदि हेतु 1.61 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- जेलों में automatic चपाती मशीन आदि हेतु 1 करोड़ रुपये।
- अभियोजन विभाग के नवीन भवनों हेतु 2.31 करोड़ रुपये का प्रावधान।

न्याय प्रशासनः

- दो नवीन मुंसिफ मजिस्ट्रेट मालाखेड़ा एवं जमवारामगढ़ में।
- चार नये पारिवारिक न्यायालय बीकानेर, जयपुर एवं कोटा में।
- भरतपुर मे वाहन दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल
- फतेहपुर, खेरवाड़ा, जैसलमेन एवं चिड़ावा में अतिरिक्त जिला एवं सैसन न्यायालय।
- बांसवाड़ा मुख्यालय पर नवीन न्यायालय परिसर की स्थापना – 29.91 करोड़ रुपये की लागत से।
- अधिनस्थ न्यायालस परिसरों में शौचालय, रेंप्स, विश्राम कक्ष, पार्किंग आदि हेतु 23.22 करोड़ रुपये।

सूचना एवं जनसम्पर्कः

- सूचना एवं जनसंपर्क मुख्यालय के सुदृढ़ीकरण हेतु 2 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- जैसलमेर एवं चित्तौडगढ़ में सूचना केन्द्र के नये भवनों के लिए 1.92 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- योजनाओं प्रचार लिए info graphics का उपयोग।

वित्तीय प्रबंधन

- 23 वर्ष बाद GF&AR के तहत वित्तीय शक्तियों का विकेन्द्रीकरण किया गया। आगामी वर्ष में PW&FR के तहत अधिकारों का विकेन्द्रीकरण किया जायेगा।
- 14 नवीन उपकोष कार्यालयों की स्थापना की जायेगी।
- 8 नये उपकोष भवनों के लिए 2 करोड़ रुपये।

कर्मचारी कल्याणः

- गत् 26 महिनों में 80 हजार से अधिक रोजगार प्रदान किये गये हैं। एक लाख के लगभग भर्ती प्रक्रियाधीन है।
- राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के मुख्यालय भवन का निर्माण कार्य करवाया जायेगा।
- केन्द्र सरकार द्वारा सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों पर आदेश जारी होने के बाद राज्य सरकार द्वारा राज्यकर्मियों के लिए pay revision के लिए committee बनायी जायेगी।
- multitask service (non technical) का नवीन पद सृजित किया जायेगा।
- pay manager एवं SIPF portal का integration से लगभग 7 लाख कर्मचारी लाभान्वित
- राज्य कर्मियों के लिए सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना के तहत sum assured की राशि में बढ़ोतरी।
- विद्युत विभाग की कंपनियों के लिए मेडिक्लेम का sum assured में बढ़ोतरी
- HCM RIPA में प्रशिक्षण सुविधाओं को चरणबद्ध रूप से राष्ट्रीय स्तर का बनाया जायेगा। आगामी वर्ष 15 करोड़ रुपये का प्रावधान।

बजट 2016–17 के कर प्रस्तावों के महत्वपूर्ण बिन्दु

व्यापार के लिए सहूलियत

वाणिज्यिक कर विभाग

- **ई गवर्नेंस सम्बन्धी कदमः**
  - सभी करों के लिये पंजीयन एवं विवरणी का एक ही **ऑनलाईन** प्रपत्र बनाया गया है।
  - व्यवहारी पंजीयन हेतु डिजीटल हस्ताक्षर युक्त **ऑनलाईन** आवेदन करने पर, कार्यालय में जाये बिना ही पंजीयन प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेंगें।
  - अपील तथा अन्य आवेदन प्रपत्र यथा अधित्यजन (Waiver) एवं संशोधन इत्यादि **ऑनलाईन**।
  - सभी करों से संबंधित मांग एवं संग्रहण पंजिका (डीसीआर) **ऑनलाईन** जिससे व्यवहारी को बकाया मांग राशि की सूचना, वाणिज्यिक कर कार्यालय जाये बिना उपलब्ध।
  - फरवरी, 2016 तक 2 लाख 18 हजार कर निर्धारण **ऑनलाईन** पारित।
  - SBI e-Pay Gateway अब ई–ग्रास से लिंक। अब 8 के बजाय 35 बैंकों के माध्यम से कर का भुगतान संभव।
- **सरलीकरण एवं सुविधाऐंः**
  - व्यवहारियों को डीलर सर्च, भुगतान, पैन, प्रमाण पत्र एवं प्रपत्र तथा सभी प्रकार के आवेदन पत्रों की स्थिति की सूचना मोबाईल पर हर समय व हर जगह उपलब्ध हो सकेगी।
  - व्यवहारियों एवं जन सामान्य की कर संबंधी समस्याओं के निराकरण हेतु विभागीय पोर्टल एवं मोबाईल एप के द्वारा सुझाव एवं समस्या सामधान की **ऑनलाईन** सुविधा।
  - प्रवेश कर, विलासिता कर तथा मनोरंजन कर के तहत एक ही प्रपत्र द्वारा **ऑनलाईन** अपील दायर करने की सुविधा।
  - प्रवेश कर, विलासिता कर तथा मनोरंजन कर के तहत एकीकृत आवेदन प्रपत्र एवं प्रत्यर्पण **ऑनलाईन**।
  - वाद अधीन प्रकरणों की निगरानी हेतु केन्द्रीकृत वाद ट्रेकिंग प्रणाली प्रारम्भ होगी।
- **व्यवहारियों की सुविधा हेतु राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, विद्युत शुल्क एवं विलासिता कर अधिनियमों/नियमों में संशोधनः**
  - व्यवहारियों द्वारा कारबार के मुख्य स्थान के परिवर्तन के लिये विभागीय प्रक्रिया पूरी करने हेतु निर्धारित वर्तमान में 60 दिन की समय सीमा घटाकर 30 दिन की गई।
  - व्यवाहरियों द्वारा रिटर्न प्रस्तुत नहीं करने/विलम्ब से करने के कारण लगाये गये विलम्ब शुल्क (Late fee) के अधित्यजन (waiver) की शक्तियां राज्य सरकार को प्राप्त।

- वर्ष के दौरान वैट–11 के स्थान पर वैट–10 के दायी होने पर व्यवहारी को पूर्व के त्रैमासों के लिये वैट–10 देने की आवश्यकता नहीं।
- ऐसे ठेकेदारों जिन्होनें छूट प्रमाण पत्र प्राप्त कर रखा है तथा प्रोजेक्ट में बचे हुये माल की बिक्री करते हैं, अपनी विवरणी वैट–11 में दे सकेंगें।
- व्यवहारियों द्वारा गलती से चालान में कालावधि का गलत अंकन हो जाने अथवा राशि अधिक जमा हो जाने पर ऐसी जमा राशि का शीघ्र समायोजन या प्रत्यर्पण किया जायेगा।
- व्यवहारियों के लिए ऑनलाईन प्रत्यर्पण प्रक्रिया का सरलीकरण।
- परिशोधन हेतु आवेदनों के निस्तारण की समय सीमा 1 वर्ष से घटाकर 6 माह की गई।
- व्यवहारियों को वैट इनवोइस पर सामान्य हस्ताक्षर के साथ–साथ डिजीटल हस्ताक्षर की भी सुविधा।
- अवार्डर द्वारा फॉर्म वैट–40ई में ऑनलाइन रिटर्न प्रस्तुत करने की स्थिति में, टी.डी.एस. प्रमाण पत्र स्वतः ही ठेकेदार के डीलर प्रोफाइल में जेनरेट हो जायेगा। ठेकेदार को कर निर्धारण अधिकारी को टीडीएस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं।
- अवार्डर को वर्ष की समाप्ति से 3 माह में फॉर्म वैट–40ई के रिवीजन की सुविधा।
- व्यवहारियों को बिजनेस ऑडिट के लिये ऑडिट का स्थान चयन करने के विकल्प की अनुमति।
- वर्ष 2013–14 के कर निर्धारण सम्पूरित करने के लिये समय अवधि 31.07.2016 तक बढ़ायी गई।
- बिल्डर्स और डेवलपर्स को परियोजनावार एक मुश्त कर जमा कराने की सुविधा।
- बिल्डर्स और डेवलपर्स द्वारा अब पंजीकृत सब कान्ट्रेक्टर का टीडीएस नही काटा जायेगा।
- ऑनलाईन जेनरेट किये गये घोषणा पत्रों में किसी त्रुटि के संशोधन हेतु वर्तमान 6 माह में निरस्त करने की अवधि को उपायुक्त प्रशासन द्वारा 6 माह तक और बढ़ाया जा सकेगा।
- औद्योगिक ईकाइयों को सुविधा देने की दृष्टि से जनरेटिंग सैट्स को केपीटल गुड्स में शामिल किया गया।
- कुछ चुनिन्दा वस्तुओं पर दिनांक 01.08.2016 से e-transit pass की व्यवस्था। यह e-transit pass मोबाईल एप के माध्यम से भी जेनरेट किया जा सकेगा।
- नगरीय उपकर तथा जल संरक्षण उपकर में छूट प्रदान करने की राज्य सरकार को शक्ति प्रदान करने हेतु विद्युत शुल्क अधिनियम में संशोधन।
- विलासिता कर की पंजीयन प्रक्रिया का सरलीकरण अब विलासिता कर का पंजीयन वैट के अनूरूप ही।
- ई–कॉमर्स के माध्यम से राज्य में लाई जा रहीं वैट के तहत कराधेय समस्त वस्तुओं पर प्रवेश कर।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- **ई–गवर्नेंस संबंधी कदमः**
  - कृषकों की सुविधा हेतु कृषि ऋण से सम्बन्धित बन्धक पत्रों के ऑनलाईन पंजीयन की व्यवस्था की जायेगी।
  - बैंकों द्वारा निष्पादित दस्तावेजों एवं उन पर भुगतान की गई स्टाम्प ड्यूटी की सूचना विभाग को उपलब्ध करवाने के लिए बैंकों को विभाग के सॉफ्टवेयर से लिंक दिया जायेगा।
  - सभी पूर्णकालीन उप–पंजीयक कार्यालयों को ई–पंजीयन व्यवस्था से जोड़ा जायेगा तथा 100 और पदेन उप–पंजीयक कार्यालयों में ई–स्टाम्प सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी।
  - आम जनता को दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु अग्रिम रूप से समय की बुकिंग करवाने की सुविधा संभागीय मुख्यालयों पर स्थित उप–पंजीयक कार्यालयों में ई–पंजीयन सॉफ्टवेयर के माध्यम से दी जायेगी।
  - पुराने पंजीकृत दस्तावेजों का digitization कराने के साथ ही आम जनता को पंजीबद्ध दस्तावेजों को ऑनलाईन सर्च करने की सुविधा प्रदान की जायेगी।
  - नोटिसों को ई–मेल सहित विभिन्न माध्यमों से तामील कराने के प्रावधान किये गये।
- **सरलीकरण और सुविधाएं**
  - प्रथम चरण में जयपुर शहर के उप–पंजीयक कार्यालयों में कम्प्यूटरीकृत हेल्प डेस्क की सुविधा दी जायेगी।
  - उप–पंजीयक कार्यालय में गवाहों की व्यक्तिगत उपस्थिति के स्थान पर आधार से सत्यापन के प्रावधान।
  - पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के लिये पृथक कैडर।
  - जसोल, निम्बाहेडा, नाथद्वारा, कुचामन सिटी, पाली, बीकानेर एवं भीलवाड़ा में उप–पंजीयक कार्यालय के नवीन भवनों का निर्माण कराया जायेगा।
  - कम्पनियों और बैंकों के अमलगमेशन आदि के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों को सरल किया गया।
  - ऐसे स्टाम्प वेण्डर जो ई–स्टाम्प भी बेचते हैं उनके लिये स्टाम्प पत्र बेचने की सीमा 50,000 रूपये से बढ़ाकर 1 लाख रूपये की गई।
  - जयपुर जिले की कालवाड उप तहसील तथा जैसलमेर जिले की नोख, सम एवं रामगढ उप तहसीलों को दस्तावेजों के पंजीयन के अधिकार दिये गये।
  - किसी अन्य निर्धारित श्रेणी में नहीं आने वाले निर्माणों का मूल्यांकन करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त तय करने हेतु महानिरीक्षक, स्टाम्प को अधिकृत किया गया।

- फार्म हाऊस प्रयोजनार्थ भूमि के मूल्यांकन से सम्बन्धित प्रावधानों को व्यवहारिक एवं तर्कसंगत किया गया।
- LLP के के गठन, अमलगमेशन, डीमर्जर, पुनर्गठन, अवसायन और विघटन पर स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधान किये गये।
- Leave and licence के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी के प्रावधानों को lease deed के समान किया गया।

परिवहन

- गैर परिवहन वाहनों पर लिये जाने वाले एकबारीय कर को वाहन मूल्य के स्थान पर ईंजन क्षमता एवं ईंधन के उपभोग पर आधारित करना।
- ग्रीन टैक्स वर्गीकरण वाहन के पुराने होने के आधार पर करना।
- 10 लाख रुपये से अधिक कीमत वाले भार वाहनों पर विशेष पथकर की दरों का मूल्य आधारित किया जाना।
- 7500 किग्रा सकल भार वाले वाहनों के स्थान पर 12000 किग्रा. तक के सकल यान भार वाले भार वाहनों एवं टैक्सी तथा मैक्सी कारों पर एकमुश्त कर 6 किश्तों में किया जाना।

➢ **औद्योगिक निवेश हेतु प्रोत्साहनः**

- राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना–2014 के तहत 252 इकाईयों में लगभग 8,096 करोड़ रूपयों का निवेश।
- RIPS-2014 के अन्तर्गत महिला उद्यमियों को निम्न अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगें:–
  (i) संपरिवर्तन शुल्क की छूट 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत की गई।
  (ii) रोजगार सृजन अनुदान की सीमा सामान्य श्रेणी के कार्मिक के लिये 25 हजार से बढ़ाकर 30 हजार तथा महिला/अजा/अजजा/विशेष योग्य जन श्रेणी के कार्मिकों के लिए 30 हजार से बढ़ाकर 35 हजार।
- रोजगार सृजन अनुदान तथा कन्चर्जन चार्जेज का बढ़ाया गया अतिरिक्त लाभ अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और विशेष योग्यजन उद्यमियों को भी दिया जायेगा।
- पिछडे तथा अतिपिछडे जिलों के नगरपालिका क्षेत्रों में स्थापित होने वाले उद्यमों को भी पिछडे तथा अतिपिछड़े क्षेत्रों के लाभ प्रदान किये जायेंगे।
- पिछडे तथा अतिपिछडे क्षेत्रों में लगने वाले उद्यमों को निम्नलिखित अतिरिक्त लाभ दिये जायेगें:–
  (i) विद्युत शुल्क में 50 प्रतिशत के स्थान पर 100 प्रतिशत छूट।
  (ii) निवेश अनुदान और रोजगार सृजन अनुदान के लाभ के लिये ई.एफ.सी.आई. की सीमा लागू नहीं होगी।

(iii) पिछड़े क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों को 0.5 प्रतिशत तथा अतिपिछडे क्षेत्रों में लगने वाले उद्योगों को 1 प्रतिशत विशेष ब्याज अनुदान देय होगा जो अन्य क्षेत्रों में दिये जा रहे लाभ के अतिरिक्त होगा।

➢ **कृषि उद्योगों/खाद्य प्रसंस्करण/जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों को प्रोत्साहनः**

- RIPS–2014 में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के उद्यमों को विशिष्ट क्षेत्र (thrust sector) घोषित करने के साथ फूड पार्क में स्थापित होने वाली खाद्य प्रसंस्करण ईकाइयों को अतिरिक्त अनुदान एवं रियायतें दी जायेगीं।
- RIPS-2014 के तहत कृषि प्रसंस्करण क्षेत्र के अतिरिक्त लाभ आटा, सूजी, मैदा, बेसन के 2 करोड़ रूपये से अधिक निवेश करने वाले तथा माल्ट बनाने वाले उद्यमों को दिया जायेगा। फिशफीड निर्माण करने वाले उद्यमों को ब्याज अनुदान का लाभ दिया जायेगा।
- Bio-technology सेक्टर को RIPS-2014 के तहत विशिष्ट सेक्टर में शामिल कर निम्न लाभ दिये जायेंगें।
  - ✓ 5 करोड़ से अधिक और 25 करोड़ रूपये तक के निवेश पर 60 प्रतिशत निवेश अनुदान और 10 प्रतिशत रोजगार सृजन अनुदान तथा 25 करोड़ से अधिक के निवेश पर निवेश अनुदान की सीमा 70 प्रतिशत होगी।
  - ✓ कैपिटल गुड्स के आयात पर प्रवेश कर में 100 प्रतिशत छूट।
  - ✓ 100 करोड़ रूपये से अधिक के निवेश तथा 200 व्यक्तियों से अधिक रोजगार सृजन करने पर कस्टमाईज पैकेज का लाभ।
- RIPS-2010 तथा RIPS-2014 के अन्तर्गत ऐसी इकाईयों को जिनका बेचान अथवा हस्तान्तरण हो जाता है। हस्तान्तरण के पश्चात् बचे हुए लाभ नये स्वामी/क्रेता को दिये जायेगे।

<u>कर में राहत</u>

वाणिज्यिक कर विभागः

- राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं पर VAT से मुक्ति दी गई हैः–

क्र.सं.	वस्तु का नाम
1.	सोलर टार्च, बायोमास स्टोव,
2.	कैरोसीन लैम्प, हरीकेन लालटेन, कैरोसीन विक स्टोव और कैरोसीन प्रैशर स्टोव तथा उनके पुर्जे
3.	लाई, पट्टू, कपूर, घुंघरू, लकड़ी का बुरादा,
4.	गन्ना, सत्तु, खाखरा, अनब्रांडेड टोस्ट या रस्क
5.	1000/– रूपये तक की मार्बल की वस्तुएं
6.	सिलाई की सुई, माचिस
7.	सीलबंद पात्र में पैक किया हुआ गंगाजल और गंगा अर्घ्य
8.	छत बनाने की मिट्टी की टाइलें (केलू),

9.	पशुओं के पाँवों की नालें और इसकी कीलें
10.	रबड़ की खेलने की गेंद और गुब्बारे
11.	हैण्डपम्प, उनके भाग और उनकी फिटिंग्स

- कारागार में निर्मित वस्तुओं को वैट से छूट।
- सभी प्रकार के यार्न पर वैट की दर 5.5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत की गई है।
- 12000 किलोग्राम अथवा इससे अधिक सकल भार वाले परिवहन वाहनों पर वैट दर 15 प्रतिशत से घटाकर 13 प्रतिशत की गई है।
- पान पर वैट की दर 14.5 प्रतिशत के घटाकर 5 प्रतिशत की गई।
- निम्न वस्तुओं पर वैट की दर 14.5 प्रतिशत से घटाकर 5.5 प्रतिशत की गई है:–

क्र.सं.	वस्तु का नाम
1.	मेजरिंग टेप और वर्नियर केलीपर्स
2.	दन्त इम्प्लांट्स
3.	अनब्रांडेड अचार
4.	प्लास्टिक ग्रिल को सम्मिलित करते हुए सभी प्रकार के प्लास्टिक वस्तुऐं और अनब्रांडेड प्लास्टिक मोल्डेड फर्नीचर
5.	सभी प्रकार के गलीचे
6.	इलेक्ट्रिक स्विचगेयर
7.	पेन ड्राइव, एस.डी. कार्ड और मेमोरी कार्ड
8.	हैल्थ फिटनेस और जिमनास्टिक उपस्कर, थर्मल मसाजर, फैट लूजिंग बैल्ट, बॉडी वाइब्रेटिंग आइटम्स, एक्यूप्रेशर मशीन, मॉर्निंग वाकर।

- राज्य सरकार द्वारा अनेक वस्तुओं पर प्रवेश कर हटाया गया है:–

क्र.सं.	वस्तु का नाम
1.	एसीएसआर कन्डक्टर
2.	सभी प्रकार के टेलीफोन तथा उनके पार्ट
3.	इन्सुलेटर
4.	फोटोकापीयर
5.	स्टे वायर
6.	टेलीविजन सैट, वाशिंग मशीन, माईक्रोवेव ऑवन
7.	टिन कन्टेनर
8.	ऐरिएटेड वाटर
9.	मिनिरल वॉटर तथा सील्ड कन्टेनर में बेचा जाने वाला पानी

- नगरीय उपकर तथा जल संरक्षण उप कर से छूट प्रदान करने की शक्तियां राज्य सरकार हो होगीं।
- ठेकदारों के लिए TDS की दर 6 प्रतिशत से घटाकर 3 प्रतिशत कर दी गई है।
- जापानी जोन और कोरियन जोन में स्थापित औद्योगिक इकाईयों के लिये अन्तर्राज्यीय बिक्री पर 0.25 प्रतिशत की रियायती कर दर को दिनांक 31 मार्च, 2017 या जी.एस.टी. लागू होने में से, जो भी पहले हो तक के लिये बढ़ाया।
- RIPS-2010 के अन्तर्गत विद्युत शुल्क से छूट के लाभ सेवा क्षेत्र को भी दिये जायेगे।
- War widows सेवानिवृत सैन्यकर्मी, उनकी विधवाओं तथा रक्षा कार्मिकों आदि को CSD कैंटीन से सामान लेने पर वैट का लाभ।

➢ **प्रवेश कर तथा मूल्य परिवर्द्धित कर के लिये एमनेस्टी स्कीम**

- प्रवेश कर से संबंधित मामलों में व्यवहारियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से एमनेस्टी स्कीम लायी जायेगी।
- वैट की एमनेस्टी स्कीम की समयावधि 31 मार्च, 2016 तक बढ़ाई गई।

पंजीयन एवं मुद्राकः

- वर्ष 2016–17 में जिला स्तरीय समिति द्वारा कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि की दरों में वृद्धि नहीं की जायेगी।
- मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत EWS एवं LIG के व्यक्तियों को आवंटित आवास के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर क्रमशः रूपये 50 एवं रूपये 100 की गई।
- दिनांक 09.03.2015 के पूर्व निष्पादित बैंक गारंटी दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर रूपये 1000 की गई एवं दिनांक 09.03.2015 से पूर्व की अवधि के लिये एवं 09.03.2015 से बैंक गारंटी के नवीनीकरण पर स्टाम्प ड्यूटी घटाकर क्रमशः अधिकतम रूपये 100 एवं रूपये 1000 की गई।
- विकास प्राधिकरणों/UIT/स्थानीय नगरीय निकायों द्वारा नियमितिकरण कर जारी किये गये पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी घटाई गई।
- भू–रूपान्तरण एवं समान प्रकृति के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर को तर्कसंगत किया गया।
- उद्योगों को राहत देने हेतु कब्जा रहित ऋण अनुबंधों/ बन्धक पत्रों पर देय स्टाम्प ड्यूटी की अधिकतम सीमा 10 लाख रूपये की गई।
- मुद्रा योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले 10 लाख रूपये तक के ऋणों के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई।
- वरिष्ठ नागरिकों द्वारा लिए जाने वाले Reverse mortgage ऋण पर स्टाम्प ड्यूटी माफ की गई।

- विद्यार्थियों द्वारा शैक्षणिक प्रयोजनों के लिये 10 लाख रूपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी में छूट दी गई।
- राज्य के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण हेतु स्वीकृत 2 लाख रूपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई।
- राजस्थान स्टार्ट–अप पॉलिसी के अन्तर्गत पात्र स्टार्ट–अप को 10 लाख रूपये तक के ऋण दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी से छूट प्रदान की गई।
- बहुमंजिला इमारतों में तृतीय एवं उससे ऊपर की मंजिलों पर फ्लैट्स/यूनिट्स के लिए स्टाम्प ड्यूटी की गणना हेतु भूमि के आनुपातिक मूल्यांकन की दर को 50 प्रतिशत से घटाकर 40 प्रतिशत किया गया।
- ऋण इकरारनामों, Hypothecation deed, Further Charge एवं बंधक पत्र के दस्तावेज पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा 25 हजार रूपये निर्धारित की गई।
- Further Charge के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दर 2 प्रतिशत से घटाकर 0.15 प्रतिशत की गई।
- पार्टनरशिप तथा कम्पनी से LLP में रूपान्तरण पर स्टाम्प ड्यूटी में रियायत दी गई।
- जिला बाड़मेर के जसौल और पचपदरा क्षेत्रों में दिनांक 11.7.2013 से 02.3.2014 की अवधि में पंजीयन पर रोक होने के कारण पंजीयन से शेष रहे आवासीय पट्टों पर स्टाम्प ड्यूटी मे राहत दी गई।
- राजस्थान स्टाम्प अधिनियम की धारा 35 एवं 36 के अन्तर्गत दस्तावेज के निष्पादन की दिनांक से कलक्टर (मुद्रांक) के आदेश की दिनांक तक की अवधि के लिए देय ब्याज की छूट दी जायेगी।

राजस्व एवं उपनिवेशन

- उपनिवेशन क्षेत्र मे कृषि भूमि आवंटन के पेटे बकाया किश्तों की राशि दिनांक 01.04.2016 से 30.09.2016 की अवधि में एकमुश्त जमा कराये जाने पर प्रभारित ब्याज में छूट दी जायेगी।
- एक एकड़ तक कृषि भूमि में सूक्ष्म तथा लघु उद्योग स्थापित करने पर कोई संपरिवर्तन शुल्क नहीं।

नगरीय विकास

- स्थानीय निकाय/प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों एवं आवासन मण्डल के लीज होल्डर्स द्वारा पूर्व की समस्त बकाया वार्षिक लीज राशि चालू वर्ष की लीज राशि सहित जमा कराये जाने पर बकाया लीज के ब्याज में 50 प्रतिशत की राहत एवं पूर्व की समस्त बकाया एवं आगे के लिये समस्त वर्षों के लिये एक मुश्त लीज राशि जमा कराये जाने पर बकाया लीज राशि के ब्याज में शत–प्रतिशत छूट दी जायेगी।
- शहरी क्षेत्र में कामकाजी महिलाओं के बच्चों के लिए डे–केयर सेंटर की स्थापना हेतु योग्य संस्थाओं को अधिकतम 500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित आवासीय दर के 50 प्रतिशत पर आवंटित की जायेगी। साथ ही इस प्रकार के डे–केयर सेंटरों की स्थापना हेतु भूमि रूपांतरण एवं भू–उपयोग परिवर्तन पर लिये जाने वाले सभी शुल्क भी माफ किये जायेंगे।

परिवहन विभाग

- मेधावी छात्राओं, देवनारायण योजना के तहत आच्छादित बालिकाओं तथा टीएसपी योजनाओं के तहत आने वाली बालिकाओं को दी जाने वाली निशुल्क स्कूटी पर देय एकबारीय कर, ग्रीन टैक्स तथा सरचार्ज में छूट।
- वाणिज्यिक उपयोग में लिये जाने वाली ट्रैक्टर–ट्रोली पर एकमुश्त कर की दर 9 प्रतिशत से घटाकर 1 प्रतिशत की गई।
- औद्योगिक एवं व्यवसायिक संस्थाओं के साथ दीर्घकालीन अवधि की संविदा वाले संविदा वाहनों पर विशेष पथकर में 50 प्रतिशत की छूट।

<u>राजस्व वृद्धि के उपाय</u>

वाणिज्यिक कर विभाग

- एरिएटेड पेयों पर वैट की दर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत की गई।
- अर्द्धसिले वस्त्रों, ग्वारगम तथा गम पाऊडर पर वैट दर 5.5 प्रतिशत की गई।
- सभी प्रकार की सिगरेट्स पर वैट की दरों में वर्तमान विशिष्ट वैट दरों से 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई।
- बेसिक तथा क्लासिक श्रेणी के हेरीटेज होटलों को छोडकर प्रतिदिन रूपये 10 हजार तथा उससे अधिक किराये वाले होटलों पर विलासिता कर 10 से बढ़ाकर 12 प्रतिशत।
- सभी प्रकार के यार्न पर प्रवेश कर 2 प्रतिशत की दर से लगाया गया।

पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग

- गौ–संरक्षण एवं संवर्धन के लिए स्टाम्प ड्यूटी पर 10 प्रतिशत अधिभार लगाया गया।
- पैतृक सम्पत्ति के विभाजन, पारिवारिक सेटलमेन्ट एवं पैतृक सम्पत्ति के हकत्याग के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों को तर्कसंगत किया गया।
- विक्रय इकरारनामा एवं अन्य इकरारनामों पर पंजीयन शुल्क की अधिकतम सीमा 50 हजार रूपये को समाप्त किया गया।
- अभिस्वीकृति, एडमिनिस्ट्रेशन बॉण्ड, गोदनामा, शपथ पत्र, शेयर सर्टिफिकेट्स, प्रतिलिपि, काउण्टर पार्ट एवं संकर्म संविदा के दस्तावेजों पर स्टाम्प ड्यूटी की दरों को तार्किक बनाया गया।
- कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के न्याय निर्णयन हेतु लिये जाने वाले शुल्क की राशि का पुनरीक्षण किया गया।

परिवहन

- पर्यटक वाहनों एवं संविदा वाहनों पर अधिकतम देय विशेष पथकर की सीमा को रुपये 25,000/– से बढ़ाकर रुपये 32,000/– किया गया।

<u>अन्य</u>

वाणिज्यिक कर विभाग

- जीएसटी के लिये हेल्पलाइन स्थापित की जायेगी ताकि व्यवहारियों की समस्याओं का निदान किया जा सके।
- सभी हित धारकों के प्रशिक्षण हेतु वाणिज्यिक कर विभाग के मुख्यालय पर नवीनतम तकनीक से पूर्ण एक **'Capacity Building and IT Training Centre'** स्थापित किया जायेगा।
- श्रीगंगानगर एवं कोटा में संभागीय कार्यालय, प्रतापगढ़, जैसलमेर, दौसा, धौलपुर, टोंक में वृत्त कार्यालय तथा डीग में घट कार्यालयों के नये भवनों का निर्माण।

आबकारी /खान/परिवहन

- राजसमन्द, पाली, बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर, हनुमानगढ तथा टोंक में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालयों के नये भवन।
- बिग डेटा तकनीक का खान एवं परिवहन तथा आबकारी विभाग में भी उपयोग।

वन संरक्षण

- प्रथम चरण में रणभम्भौर एवं सरिस्का टाईगर रिजर्व के 10 किलोमीटर की परिधि में आने वाले होटल एवं रिसोर्ट पर लोकल कन्जर्वेशन फीस जिसका उपयोग स्थानीय समुदाय की उन्नति के लिये किया जायेगा।